न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–125 / 2023 दायर दिनांकः 13.06.2023

GCMS NO:- 2023/208

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. शिवराज आ0 रामकरण जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. प्रभूलाल आ0 रामकुवांर जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः–अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री दीपक कुमार गुर्जर।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 12.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मोहब्बतपुरा पटवार हल्का बंसोली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 87 की कृषि भूमि खसरा संख्या 92 रकबा 1.5937 हैक्टयर स्थित है। इस भूमि का खातेदार कृषक प्रार्थी है जो इसी हैसियत से काबिज काश्त है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि ग्राम मोहब्बतपुरा पटवार हल्का बंसोली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 31 की कृषि भूमि खसरा संख्या 91 रकबा 0.2912 हैक्टयर स्थित है। इस भूमि का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि ग्राम मोहब्बतपुरा पटवार हल्का बंसोली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 88 रकबा 0.0485 हैक्टयर स्थित है। यह भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खातेदार अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 92 में आने जाने, हल–कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली एवं अन्य कृषि उपकरण, कृषि उपज लाने ले जाने का रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दर्ज सरकारी रास्ते (सडक) खसरा संख्या 87 से खसरा संख्या 88 की दक्षिणी मेर के सहारे–सहारे उत्तरी दिशा की ओर पूरव से पश्चिम से होकर खसरा संख्या 91 मे से होते हुये खसरा संख्या 92 तक पहुंचता है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में लाल स्याही से अ से ब बिन्दु तक दर्शाया गया है। परिशिष्ट ''क'' प्रार्थना पत्र का भाग है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित व परिशिष्ट ''क'' में दर्शाये गये रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 92 में पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त रास्ते को अभी एक सप्ताह पहले हांक जोत कर अवरूद्ध कर प्रार्थी को इसमें से होकर आने जाने के लिये मना कर दिया है, इसी कारण से प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 92 पर आना–जाना, खेती काश्त करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी की भूमि के पडत रहने की पूरी संभावना हो गयी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता खुलासा करने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया है साथ ही यह कहा है कि ''नक्शे में रास्ता दर्ज नही है इसलिए मैं यहां होकर नही निकलने दूंगा''। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। रास्ते के अभाव [illegible] भूमि पर फसल नही कर सकेगा। इससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के भूखे मरने [illegible] उत्पन्न हो जायेगी। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह [illegible] प्रार्थना पत्र की चरण पत्र की चरण संख्या 1 व 4 में वर्णित भूमि पर पहुंचने के लिए 13 [illegible] चौडाई का रास्ता उपरोक्त चरणों में दिये गये विवरण के अनुसार राजस्व नक्शा में व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये। प्रार्थना पत्र समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस [illegible] प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar

Date: 2023.11.08 16:10:22 IST

Reason: SelfAttested

[illegible] रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक प्रार्थी शिवराज द्वारा ग्राम मोहब्बतपुरा के खसरा संख्या 92 रकबा 1.5937 हैक्टयर जो कि स्वयं शिवराज पुत्र रामकरण जाति गुर्जर सा. देह की खातेदारी में दर्ज है, पर पहुंचने हेतु रास्ता 251 क के अन्तर्गत चाहा गया है जो मुताबिक रिकार्ड नक्शा में दर्ज नही है। यह कि धारा 251 ए के

...न्तर्गत प्रार्थीयों को खसरा नम्बर 88 मे से 6 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौड़ा तथा खसरा नम्बर 91 ...मे से 7 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौडा रास्ता दिया जाना उचित होगा जो नजरी नक्शा में प्रस्तावित किया गया है।

ख0न0	लम्बाई(गट्ठा)	चौड़ाई(गट्ठा)	कुल क्षेत्रफल
88	6	2	12 वर्ग गट्ठा (आयताकार क्षेत्र)
	3	8	12 वर्ग गट्ठा (त्रिभुजाकार क्षेत्र)
		2	अर्थात् 24 वर्ग गट्ठा या 1050 वर्गफीट या 0.0098 हैक्ट0
91	7	2	14 गट्ठा (आयताकार क्षेत्र)
	3	8	12 वर्ग गट्ठा (त्रिभुजाकार क्षेत्र)
		2	अर्थात् 26 वर्ग गट्ठा या 1128 वर्गफीट या 0.0105 हैक्ट0

इस प्रकार रास्ते हेतु कुल उपयोग में आने वाली भूमि– 26 वर्ग गट्ठा + 24 वर्ग गट्ठा = 50 वर्ग गट्ठा होगी।

अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 वावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम मोहब्बतपुरा की प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 92 रकबा 1.5937 हैक्टयर भूमि तक पहुंचने के लिए तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अनुसार खसरा नम्बर 88 मे से 24 वर्ग गट्ठा तथा खसरा नम्बर 91 में से 26 वर्ग गट्ठा का रास्ता दिया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ते के नक्शे को परिशिष्ट–"अ" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किया जाकर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:10:22 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम होल किशनवार
पटवार - गोविन्दपुरा
तहसील - नैनवा
जिला - बून्दी (राज०)

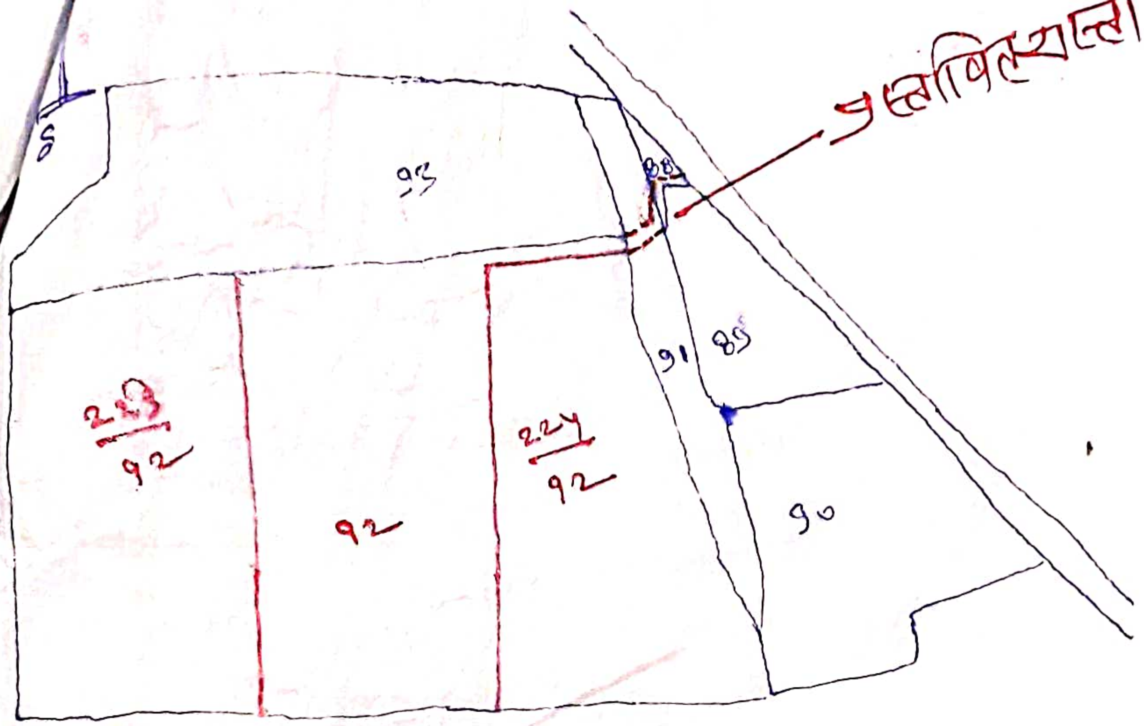

90
24/9/023

पटवारी
पटवार मण्डल [illegible]
तह. नैनवाँ जिला (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:10:22 IST
Reason: SelfAttested